A4/7

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 75/2021

माणकचन्द पुत्र धुडाराम, उम्र 78 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी डुलानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सरूजगढ, जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

––

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.09.2021 न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ मुकदमा उनवानी सरकार बनाम माणकचन्द मु0न0 202/2021 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

––

उपस्थितः–

1. श्री विक्रम ओला, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 11.01.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार मण्डावा के निर्णय दिनांक 20.09.2021 के विरूद्व मय प्रा0प0 प्रा0प0 स्थगन के पेश की गई है। संक्षेप में अपील अपीलान्ट के अनुसार पटवारी हल्का डुलानिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की की ग्राम डुलानिया के भूमि खसरा नम्बर 632, 206 कुल रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन जोहड में से रकबा 0.06 हैक्टर पर अपीलान्ट द्वारा तीन दिशाओ में दीवार निकाल कर कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए जिस पर अपीलान्ट ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी मानते हुए दण्ड स्वरूप शरह लगान का 50 गुणा तावान 18 रूपये कायम कर बेदखली हेतु आदेश दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा निम्नलिखित आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरूद्ध कानून, न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की अपीलान्ट तथाकथित

जिला कलक्टर झुंझुनूं

जमीन खसरा नंबर 632/206 पर अतिक्रमी नही है, बल्कि अपीलान्ट अपनी भूमि खेत खसरा नंबर 205 पर काबिज काश्तकार है जो अपीलान्ट के कब्जे व स्वामित्व की भूमि है। अपीलान्ट के द्वारा सन् 1987 में भूमि मातुराम पुत्र पालीराम जाति पारिक ब्राह्मण निवासी डुलानिया तत्कालीन तहसील चिडावा हाल तहसील सूरजगढ जिला झुझुनू से खरीदी थी जो काश्तकारी की भूमि है, उक्त भूमि पहले मातुराम के स्वामित्व का था। मातुराम ने मुझ माणकचन्द को बेचान कर दिया था तब से आज तक उक्त भूमि अपीलान्ट के कब्जे काश्त में चली आ रही है, जो काश्तकारी की भूमि है तथा उक्त 10500 वर्गफीट पर अपीलान्ट का लगातार कब्जा व स्वामित्व है, जिसका अपीलान्ट उपयोग व उपभोग कर रहा है, उक्त भूमि पर अपीलान्ट के नाम बिजली पानी का कनेक्शन स्थापित रहा है, जो ग्राम पंचायत की एन0ओ0सी0 के बाद विधिवत रूप से प्रदान किया गया था व तकरीबन 30 वर्ष पूर्व से उक्त भूमि पर अपीलान्ट के मकानात मौजूद है, चारदीवारी का निर्माण पूर्व में बनी हुई चारदीवारी के गिरने पर उसी जगह पर निर्माण किया जा रहा है, तथा उक्त भूमि में पूर्व में विद्युत चक्की भी चलती थी। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि की तत्कालीन गिरदावर द्वारा एक मौका फर्द रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें गिरदावर ने वास्तविक तथ्यों का उल्लेख किया है, उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर ना कर आलौच्य निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का तथा अपीलान्ट के कोई बयान नही लिए तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की पालना नही की गई है। अपीलान्ट का दिया गया नोटिस भूमि खसरा नं0 632/206 कुल रकबा 0.20 का है, जबकि अपीलान्ट खसरा नं0 205 पर काबिज है। इस प्रकार अपीलान्ट ने किसी प्रकार का कोई अवैध अतिक्रमण खसरा नम्बर 632/206 पर नही कर रखा है, बल्कि स्वयं की खरीदशुदा काश्तकारी की भूमि खसरा नम्बर 205 पर काबिज काश्तकार है। अपीलान्ट अतिक्रमी की संज्ञा में नही आता है। अपीलान्ट का उक्त जमीन पर अतिक्रमण नही है, बल्कि उक्त भूमि स्वयं अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि है, जिस पर सन् 1987 से लगातार कब्जा चला आ रहा है, तथा भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है, तथा जमीन काश्तकारी भूमि है, जिस पर अपीलान्ट बतौर काश्तकार काबिज है। अपीलान्ट को निर्णय की आड में बेदखल कर दिया जाता है, तो अपीलान्ट का अपील प्रस्तुत करना ही बेकार हो जाएगा। अपीलान्ट को न्यायालय तहसीलदार सुरजगढ द्वारा गलत अंकित नोटिस एवं कयास के आधार पर निराधार नोटिस दिया गया कि राजस्व ग्राम डुलानिया की खसरा नं0 632/206 रकबा 0.20 हैक्टर सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, से बेदखली का आदेश किया गया है, जबकि वास्तविकता में अपीलान्ट ने राजस्व ग्राम डुलानिया की खेत खसरा 632/206 रकबा 0.20 हैक्टर पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है, बल्कि अपीलान्ट ग्राम डुलानिया के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 205 की भूमि में काबिज काश्तकार है, जिसे अपीलान्ट ने जरिए विक्रय इकरारनामा सन् 1987 में खरीदकर उक्त भूमि पर पुख्ता निर्माण कर बहैसियत मालिक स्वामी काबिज है तथा मय परिवार रिहायश

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

कर रहा है। अपीलान्ट खसरा नम्बर 632/206 की सिवायचक भूमि पर कोई अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट को नोटिस क्रमांक 202/2021 दिनांक 03.09.2021 को दिया गया जिसका जवाब विधिवत रूप से दिनांक 20.09.2021 को मय दस्तावेज अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था किन्तु अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजो का सतर्कतापूर्वक अवलोकन किए बगैर अपीलान्ट को गलत रूप से अतिक्रमी मानते हुए तथा न्यायिक विवेक प्रयोग किए बिना बेदखली के आदेश पारित कर दिए गए। अतः अपील अपीलान्ट अदालत श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुरजगढ जिला झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 20.09.2021 को निरस्त किए जाने का आदेश फरमावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2021 मे ग्राम डुलानिया स्थित भूमि ख0न0 632/206 कुल रकबा 0.20 है0 किस्म गै0मु0 जोहड दर्शाते हुए रकबा 0.06 है0 पर अतिक्रमी घोषित किया है। प्रकरण मे अदालत मातहत ने अपने आदेश मे अंकित किया है कि भूमि की किस्म गै0मु0जोहड है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार मे डी0बी0 अपील सं0 1536/03 मे दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आंवटन/नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य Civil Appeal No. 1132/2011 @ SLP (C) No. 3109/2011 (Arising Out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 210) निर्णय दिनांक 28.01.211 के द्वारा आंवटन हेतु प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी मे आती है। जबकि विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 जोहड न होकर बारानी है। अदालत मातहत ने गलत निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट तथाकथित जमीन खसरा नंबर 632/206 पर अतिक्रमी नही है, बल्कि अपीलान्ट अपनी भूमि खेत खसरा नंबर 205 पर काबिज काश्तकार है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुरजगढ जिला झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 20.09.2021 को निरस्त किए जाने का आदेश फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम डुलानिया स्थित विवादित भूमि ख0न0 632/206 रकबा 0.20 है0 मे से 0.06 हैक्टर जो कि सरकारी भूमि है पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। चूंकि अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 20.09.2021 मे ग्राम डुलानिया स्थित भूमि ख0न0 632/206 कुल रकबा 0.20 है0 किस्म गै0मु0 जोहड दर्शाते हुए रकबा 0.06 है0 पर अतिक्रमी घोषित किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के अनुसार विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 जोहड न होकर बारानी 3 है। चूंकि प्रकरण मे अदालत मातहत ने अपने आदेश मे विवादित भूमि की किस्म बारानी 3 के स्थान पर गै0मु0 जोहड अंकित की है। अतिक्रमी की दिनांक 20.09.2021 को अधीनस्थ अदालत द्वारा सुनवाई करके निर्णय दिनांक 20.09.2021 को पारित किया है तथा 30.09.2021 को मौके पर निर्माण कार्य रोका है तथा निर्माण से संबंधित औजार जप्त किये है। विवादित भूमि सरकारी भूमि है। जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलान्ट को विवादित भूमि के मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/01/22

(यूडी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं